

# राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

## आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 663 /2021

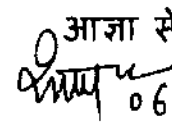
दिनांक 06.03.2021

डॉ. सीमा अग्रवाल (RJ1016), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, सीकर को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं:-

1. दिनांक 07.09.2020 से 19.09.2020 तक 13 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 06.09.2020 एवं 20.09.2020 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित ।
2. दिनांक 04.11.2020 से 11.11.2020 तक 08 दिनों का क्वारेन्टाइन अवकाश (Quarantine Leave) ।
3. दिनांक 12.11.2020 से 25.11.2020 तक 14 दिनों का परावर्तित अवकाश ।

डॉ. अग्रवाल की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-01, सीकर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, सीकर के पद पर ही की गई ।

आज्ञा से  
 06.3.2021

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण )

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/04/2016/1640

दिनांक : 06.03.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, सीकर को उनके पत्रांक 116 दिनांक 23.02.2021 के सन्दर्भ में ।
3. डॉ. सीमा अग्रवाल (RJ1016), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, सीकर ।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-01, सीकर ।

  
सहायक रजिस्ट्रार